छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक :: एफ 5–54 / 2015 / 18 नया रायपुर, दिनांक 04 फरवरी, 2016

प्रति,

1 **समस्त आयुक्त,**
नगर पालिक निगम, छत्तीसगढ़

2. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद् / नगर पंचायत, छत्तीसगढ़

विषय :– राज्य प्रवर्तित नवीन सरोवर धरोहर योजना का दिशा–निर्देश।

––00––

राज्य शासन द्वारा प्रदेश की समस्त नगरीय निकायों में राज्य प्रवर्तित नवीन सरोवर धरोहर योजना अंतर्गत जलाशयों का उपयोग निस्तारी तथा तालाबों के आसपास समुचित सफाई एवं तालाबों के सुदृढीकरण हेतु दिशा–निर्देश की प्रति संलग्न है।

कृपया दिशा–निर्देश अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित किया जावे।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

3/2/16

(बी.एल. सोनी)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

पृ.क्र. एफ 5–54 / 2015 / 18 नया रायपुर, दिनांक 04 फरवरी, 2016

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, मा. मंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
2. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
3. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, संचालनालय, नया रायपुर,
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण, रायपुर,
5. संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर / दुर्ग / बिलासपुर / अम्बिकापुर / जगदलपुर,
6. प्रोग्रामर, डाटा सेन्टर, संचालनालय, न.प्र.वि. को वेबसाईट में अपलोड करने हेतु, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
7. रिकार्ड फाईल,

3/2/16

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

राज्य प्रवर्तित नवीन सरोवर धरोहर योजना

:: दिशा–निर्देश ::

राज्य शहरी विकास अभिकरण, छत्तीसगढ़

राज्य प्रवर्तित नवीन सरोवर धरोहर योजना

:: दिशा–निर्देश ::

1) नवीन सरोवर धरोहर योजना का प्रस्ताव तैयार करने से पहले नगरीय निकायों को यह सुनिश्चित करना होगा कि, जिस सरोवर/जलाशय जिसका विकास किया जाना प्रस्तावित है, में किसी प्रकार का नाली/नालों का दूषित जल तालाब में प्रवेश नहीं करता है। इस कार्य हेतु निकाय की स्वनिधि/अधोसंरचना मद/14वें वित्त आयोग या सम्यक प्रयोजन हेतु अन्य मद से प्रदायित राशि से उपरोक्त व्यवस्था की जाना अनिवार्य होगा।

2) प्रस्तावित जलाशय का, पटवारी खसरा–नक्शा के अनुसार, सम्पूर्ण क्षेत्रफल अतिक्रमण से मुक्त करना होगा, ताकि वॉटर बॉडी का पूर्ण आकार स्थल पर यथा उपलब्ध हो सके।

उपरोक्त कंडिका (1) एवं (2) के अनुसार, व्यवस्था करने के उपरान्त, निकाय के यथा आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा तालाब में प्रदूषित जल प्रवेश नहीं करने तथा सम्पूर्ण तालाब का क्षेत्र अतिकमण से मुक्त होने के संबंध में निर्धारित प्रारूप में हस्ताक्षरित पृथक–पृथक प्रमाण पत्र, योजना के साथ प्रस्तुत किया जावेगा।

3) संबंधित निकाय द्वारा सूडा द्वारा पूर्व में स्वीकृत सरोवर धरोहर योजना में विकसित किये गए तालाबों के कार्यों की प्रगति की जानकारी निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा।

योजना तैयार करना :– निकाय द्वारा सरोवर धरोहर योजना अंतर्गत परियोजना तैयार की जावेगी, जिसमें राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार योजना में निहित घटकों के प्राक्कलन तैयार किये जावेंगे तथा सक्षम तकनीकी अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जावेगी। योजना के साथ तालाब का खसरा नक्शा, स्वामित्व, तकनीकी प्रतिवेदन, तकनीकी स्वीकृति यथा निकाय की महापौर परिषद/पी.आई.सी. का संकल्प, वर्तमान स्थिति का फोटोग्राफ्स, इंजीनियरिंग ड्राईंग एवं कंडिका (1) (2) एवं (3) अनुसार प्रमाण पत्र एवं अनुषांगिक अभिलेख चेकलिस्ट सहित संलग्न कर मुख्य कार्यपालन अधिकारी सूडा को प्रस्तुत किये जावेंगे।

प्रस्तावित योजना के तीन चरण होंगे, किन्तु तीनों चरणों की योजना एकमुश्त तैयार कर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जावेगी। सूडा द्वारा योजना की एकमुश्त स्वीकृति प्रदान की जावेगी एवं प्रथम चरण की राशि योजना की स्वीकृति के साथ जारी की जावेगी। प्रथम चरण का कार्य पूर्ण होने पर द्वितीय किश्त एवं द्वितीय चरण का कार्य पूर्ण होने पर तृतीय किश्त जारी की जावेगी।

प्रथम चरण :–

प्रथम चरण में तालाब की साफ–सफाई/गहरीकरण का प्रावधान किया जावेगा। नोडल एजेंसी सूडा द्वारा योजना के तीन चरण की एकमुश्त स्वीकृति प्रदान की जावेगी। साफ–सफाई/गहरीकरण हेतु आवश्यक मिट्टी/मुरूम खुदाई, सिल्ट हटाने की मात्रा का आंकलन कर, बाजार दरों पर इस हेतु आवश्यक वाहन किराये पर लेने हेतु प्राक्कलन तैयार किया जावेगा। तालाब के 10 से 15 प्रतिशत हिस्से को इनलेट के पास एक मीटर गहरा करना होगा, इसमें भी सब तरफ से उचित ढलाव (स्लोप) का प्रावधान करना आवश्यक होगा, ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना न हो सके, तथा ठोस अपशिष्ट इसी हिस्से में एकत्रित हो सके, जिसे समय–समय पर निकाय द्वारा हटाये जाने की व्यवस्था की जावेगी।

इनलेट के पूर्व स्थल की उपलब्धता के अनुसार एक पक्के चेम्बर (मिनी सेंडमिंटेशन टेंक) जो कि पूर्ण रूप से ढंका हुआ होगा, का निर्माण करना होगा, जिसका आकार स्थल की उपलब्धता के अनुसार परामर्शदात्री संस्था से डिजाईन कराना होगा, ताकि इनलेट में प्रवेश के पूर्व पानी आंशिक रूप से साफ हो सके।

द्वितीय चरण :–

योजना के द्वितीय चरण में चेनलिंक/ग्रील, फेंसिंग, वृक्षारोपण, टोवॉल, स्टोन पिचिंग एवं सरोवर में कम से कम दो घाट जिसमें एक महिला घाट हो, का निर्माण, इनलेट, वेस्ट वियर का निर्माण का प्रावधान किया जावेगा।

तृतीय चरण :–

योजना के तृतीय चरण में विद्युतीकरण, पॉथवे तथा पैगोडा/बैठने की व्यवस्था हेतु बैंच स्थापना के कार्य का प्रावधान किया जावेगा। अनावश्यक महंगी लाईटे नहीं लगायी जावेंगी यथा संभव विद्युतीकरण हेतु सोलर उपकरणों/एलईडी लाईट का प्रावधान किया जावेगा।

योजना का क्रियान्वयन :–

प्रथम चरण :– सूडा से कार्य की स्वीकृति उपरान्त विहित प्रकिया तथा राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का अनुसरण करते हुए, प्रतिस्पर्धात्मक निविदाएं आमंत्रित कर, आवश्यक वाहन किराये पर अनुबंधित कर, गहरीकरण/साफ–सफाई का कार्य कराया जाना अनिवार्य होगा। साफ–सफाई/गहरीकरण हेतु आवश्यक मिट्टी/मुरूम खुदाई, सिल्ट हटाने की निविदा एसओआर दरों पर आमंत्रित किये जाने का प्रतिषेध होगा, ताकि मितव्ययता के साथ यह कार्य सम्पन्न हो सके।

खुदाई के पूर्व तथा पश्चात का लेवल लेना अनिवार्य होगा। खुदाई करने के पूर्व निकाय द्वारा ऐसे स्थानों का चयन करना अनिवार्य होगा, जहॉ पर उत्खनित मिट्टी/मुरूम का उपयोग निकाय के हित में किया जा सके। यथा संभव तालाब की बंड के सुदृढ़ीकरण, उद्यान तथा फिलिंग हेतु इसका उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। किराये पर लिये जाने वाले वाहनों की लॉगबुक का नियमानुसार प्रमाणीकरण एवं संधारण किया जाना अनिवार्य होगा।

तालाब की खुदाई इस प्रकार की जावेगी कि, तालाब के किनारे पर गहराई कम हो तथा इसमें मध्य की ओर कमशः नियमित आकार में वृद्धि हो, ताकि तालाब में डूबने की घटनाएं नहीं हो सके। निकाय द्वारा योजना के प्रथम चरण का कार्य पूर्ण होने के पश्चात सूडा द्वारा जारी प्रथम किश्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत किया जावेगा।

द्वितीय चरण :– द्वितीय चरण में निहित कार्य हेतु राज्य शासन द्वारा अनुमोदित निविदा प्रारूप में आमंत्रित की जावेगी। यथा संभव तालाब के आसपास सघन वृक्षारोपण किया जावेगा तथा प्रदूषण रहित वातावरण विकसित करने का प्रयास किया जावेगा।

द्वितीय चरण का कार्य पूर्ण होने के पश्चात सूडा द्वारा जारी द्वितीय किश्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत किया जावेगा।

तृतीय चरण :– तृतीय चरण में निहित कार्यों हेतु राज्य शासन द्वारा अनुमोदित निविदा प्रारूप में आमंत्रित की जावेगी। निविदा की सक्षम स्वीकृति उपरान्त कार्य कराये जावेंगे। महंगे एवं खर्चीले लाईट नहीं लगाये जावेंगे।

तीनों चरणों का कार्य पूर्ण होने पर निर्धारित प्रारूप में कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

वित्तीय व्यवस्था एवं राशि का विमुक्तिकरण :–

सूडा द्वारा तीनों चरणों की योजना एकमुश्त स्वीकृत की जावेगी। योजना के कियान्वयन हेतु सूडा द्वारा 100 प्रतिशत अनुदान तीन किश्तों में उपलब्ध कराया जावेगा। योजना स्वीकृत होने के उपरान्त प्रथम चरण के कियान्वयन हेतु किश्त राशि उपलब्ध करायी जावेगी। प्रथम चरण में निहित तालाब की सफाई/खुदाई तथा डी वाटरिंग के कार्य हेतु 3.00 लाख रू. प्रति हेक्टेयर के मान से तालाब के क्षेत्रफल के आधार पर राशि जारी की जावेगी। द्वितीय एवं तृतीय चरण में निहित कार्य स्थल की आवश्यकता के अनुसार होंगे। इसके लिए परियोजना के आधार पर राशि स्वीकृत की जावेगी।

योजना की स्वीकृति के साथ प्रथम किश्त की राशि जारी की जावेगी। प्रथम चरण का कार्य पूर्ण होने पर निकाय से उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा फोटोग्राफ प्राप्त होने पर द्वितीय किश्त की राशि अवमुक्त की जावेगी। द्वितीय चरण का कार्य पूर्ण होने पर निकाय से उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा फोटोग्राफ प्राप्त होने पर तृतीय किश्त की राशि अवमुक्त की जावेगी। तृतीय चरण का कार्य पूर्ण होने पर निकाय द्वारा कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जावेंगे।

लेखा संधारण :– निकाय द्वारा सूडा से योजना के अंतर्गत प्राप्त राशि हेतु राज्य शासन द्वारा सूचीबद्ध बैंक में खाता खोलकर उपरोक्त राशि जमा रखी जावेगी एवं व्यय का विहित प्रकिया अनुसार लेखा संधारित किया जावेगा।

विशिष्ट निर्देश :–

1. तालाब परिसर में वृहद वृक्षारोपण किया जावेगा एवं ट्री गार्ड के माध्यम से उसका संरक्षण किया जावेगा।
2. जल की सफाई (ऐरियेशन) हेतु साधारण फव्वारों का प्रावधान किया जावेगा।
3. कम से कम एक महिला घाट का प्रावधान किया जाना अनिवार्य होगा।
4. अनावश्यक महंगी एवं डेकोरेटिव्ह लाईट्स की व्यवस्था प्रतिबंधित रहेगी।
5. योजना अंतर्गत स्वीकृत तालाबों में मत्स्य पालन का ठेका प्रतिबंधित रहेगा।
6. तालाब परिसर में दुकानें एवं चौपाटी निर्माण भी प्रतिबंधित रहेगा।
7. मूर्तियॉ एवं अन्य सामग्री (प्लास्टिक, बैग्स आदि) का विसर्जन पूर्णता प्रतिबंधित रहेगा।
8. तालाब परिसर पूर्णतया स्वच्छ रखा जावेगा। इस हेतु पर्याप्त मात्रा में कचरा पेटी का प्रावधान रखा जावेगा। खुले में शौच पर पूर्णता प्रतिबंध रहेगा। इसका व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावेगा।
9. यह योजना नगर में विद्यमान तालाबों के लिए है। अतः योजना के अंतर्गत नवीन तालाब का प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं होगा।

31/12/16.

(बी.एल. सोनी)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग